न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–02/2020 (भरण पोषण अधिनियम धारा 16)

हुकमाराम पुत्र रामलाल उम्र 80 वर्ष जाति भाट निवासी चक 23 के.एस.पी., तहसील हनुमानगढ़ हाल निवास ''अपना घर वृद्धाश्रम'', नजदीक यूको बैंक के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थी

बनाम

1. गौरां देवी पत्नी हुकमाराम उम्र 70 वर्ष जाति भाट निवासी 23 के.एस.पी., अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. चेतनराम
3. पवन कुमार

पुत्रगण हुकमाराम जाति भाट निवासीयान 23 के.एस.पी., ढाणी वीपीओ किशनपुरा दिखनादा बास ग्राम पंचायत अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.01.2020 द्वारा न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ बअनवानी हुकमाराम बनाम गोरां देवी आदि प्रकरण संख्या–07/2016, अपास्त कर अपीलान्ट/प्रार्थी की अपील स्वीकार करने बाबत।

निर्णय **दिनांकः–22.06.2022**

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत न्यायालय भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 के विरूद्ध पेश हुई है।

अपील के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.11.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भरण–पोषण अधिनियम 2007 के तहत पेश कर रेस्पोडेन्टस से चालीस हजार रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण भत्ता स्वरूप दिलाये जाने मांग करने के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति का संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत पेश कर चक 23 के.एस.पी. के सांझा खाता संख्या 80 में कुल 5.313 हैक्ट. नहरी कृषि भूमि है, जिसमें से अपीलार्थी के नाम दर्ज हिस्सा व कब्जा काश्त वाली भूमि तादादी 2.656 हैक्ट. यानि 10 बीघा 10 बिस्वा नहरी से रेस्पोडेन्टस (अप्रार्थीगण सं. 02 व 03) को बेदखल कर कब्जा अपीलार्थी को दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 11.10.2018 को आदेश पारित किया कि ''प्रार्थी हुकमाराम पुत्र रामलाल जाति भाट निवासी ढाणी चक 23 केएसपी. किशनपुरा दिखनादा हाल अपना घर वृद्धाश्रम नजदीक एस.बी.आई. बैंक के पास हनुमानगढ़ टाउन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 स्वीकार कर तहसीलदार(राजस्व), हनुमानगढ़ को आदेशित किया कि जमाबंदी चक नं. 23 के.एस.पी. खाता सं. 80/67 में प्रार्थी हुकमाराम के नाम दर्ज 2.656 हैक्ट. यानि 10.10 बीघा कृषि भूमि से अतिक्रमी

Web Copy Not Official

अप्रार्थी सं. 01 व 02 को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जावे।'' इस आदेश के मुताबिक तहसीलदार(राजस्व), हनुमानगढ़ ने दिनांक 23.10.2018 को भू–अभिलेख निरीक्षक चौहिलांवाली व पटवारी हल्का अराईयांवाली को पत्र क्रमांक राजस्व/2018/333 प्रेषित कर प्रार्थी को कब्जा दिलाने बाबत निर्देशित किया जिसकी पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक ने प्रश्नगत भूमि का कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द कराने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की कि ''प्रश्नगत विवादित भूमि में दो ढाणियां आवासीय बनी हुई है जिसमें हुकमाराम की पत्नी गौरा देवी, दोनो बेटे, पुत्रवधु व नाबालिग पोते–पोतीयां निवास कर रहें है। हुकमाराम को एक ढाणी परिवार को रहने हेतु छोड़कर समस्त शेष कृषि भूमि का कब्जा लेने हेतु निवेदन किया लेकिन हुकमाराम ने दोनो ढाणीयों को पूर्ण रूप से खाली करवाने पर ही कृषि भूमि का कब्जा लेने पर सहमत है। ढाणी आवासीय खाली नहीं होने तक कब्जा लेने से इन्कार/मना कर दिया। हुकमाराम के पुत्र एक ढाणी व कृषि भूमि का कब्जा देने हेतु सहमत है'', इस कारण प्रश्नगत भूमि का कब्जा नहीं दिलाया जा सका। इसके उपरांत अपीलार्थी की पत्नी रेस्पोडेन्ट सं. 01 अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं थी परन्तु उक्त आदेश से उसके हक, हित व भरण–पोषण का एकमात्र आधार प्रभावित होने पर इस न्यायालय में प्रभावित पक्षकार की हैसियत से अपील प्रस्तुत की। रेस्पोडेन्ट सं. 01 की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील में इस न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2018 को अपास्त कर प्रकरण में अपीलार्थीया(रेस्पोडेन्ट सं. 01 गोरा देवी) को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने के समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु आदेश दिनांक 30.05.2019 से प्रकरण रिमाण्ड किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र बाबत भरण–पोषण द्वारा हुकमाराम स्वीकार करते हुए प्रश्नगत कृषि भूमि चक 23 केएसपी खाता संख्या 80/67 में प्रार्थी हुकमाराम के नाम से दर्ज 2.656 हिस्सा यानि 10.10 बीघा कृषि भूमि में से अतिक्रमी रेस्पोडेन्ट सं. 02 व 03 (चेतनाम व पवन कुमार) को बेदखल कर कृषि भूमि में से आधा हिस्सा एवं एक मकान अपीलार्थी हुकमाराम पुत्र रामलाल को एवं कृषि भूमि में से आधा हिस्सा एवं एक मकान गौरादेवी पत्नी हुकमाराम (रेस्पोडेन्ट सं. 01) को दिलवाकर कब्जा हुकमाराम एवं गौरा देवी को सुपुर्द करने के आदेश 27.01.2020 को पारित किये गये। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 27.01.2020 को अपास्त किये जाने एवं गुणावगुण पर आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11.10.2018 प्रकरण सं. 07/2016 को यथावत रखने का आदेश पारित कर अपीलान्ट को अपने नाम की कृषि भूमि का कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख व रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अपीलान्ट जरिये न्यायमित्र श्री शहजाद हुसैन व रेस्पोडेन्टस स्वयं उपस्थित आये।

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस की बहस अपील सुनी गयी। न्यायमित्र अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट एक 80 वर्षिय वृद्ध व्यक्ति है। अपीलान्ट के नाम से सांझा खाता में 23 के.एस.पी. के खाता संख्या 80 में कुल 5.313 हैक. नहरी कृषि भूमि है, जिसमें से 2.656 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज कागजात राजस्व रिकॉर्ड है जिस पर रेस्पोडेन्टस ने जबरन कब्जा कर अपीलान्ट को मारपीट कर घर से निकाल दिया है। अपीलान्ट कमजोर, असहाय व बीमार है और बिना सहारे के चल नहीं सकता। रेस्पोडेन्टस उसका भरण–पोषण नहीं कर रहें हैं और दिनांक 25.03.2013 से अपीलान्ट हनुमानगढ़ टाउन में स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में रह रहा है। वृद्धाश्रम में पराधीन जीवन व्यतीत करने को विवश है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का भ्रष्ट एवं राजनैतिक तरीके से पारित आदेश दिनांक 27.01.2020 प्रकरण सं. 27/2019 को अपास्त किया जावे एवं गुणावगुण पर आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11.10.2018 प्रकरण सं. 07/2016 को यथावत रखने का आदेश पारित कर अपीलान्ट को अपने नाम की कृषि भूमि का कब्जा दिलाया जाये। न्यायमित्र अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त दीपक कुमार बनाम श्रीमती फुलवन्ती देवी व आदि–2018(4) DNJ (Raj.)1526 Rajasthan High Court, Namdev V/s

Geeta Writ Petition No. 2035 of 2020 In The High Court of Judicature at Bombay Nagpur Bench, Nagpur पेश किये।

रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने अपने कथनों में बताया कि अपीलार्थी जो कि मेरे पति है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मानसिक परेशानी की वजह से मुझे 15 वर्ष पहले छोड़कर चले गये तब से वृद्धाश्रम में ही रहते है। मैं और मेरे बेटे जो रेस्पोडेन्ट नं. 2 और 3 है अपने नजदीकी रिस्तेदारों को साथ लेकर मेरे पति को घर लाने के लिए प्रयास किये लेकिन वह घर आने को तैयार नहीं थे। मेरे पति मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अन्य लोगों के बहकावें में आकर भूमि को अन्तरित करने पर आमदा है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ प्रश्नगत कृषि भूमि में बनी ढ़ाणी में निवास कर रही हूं। मैं स्वयं वृद्ध औरत हूं बीमार रहती हूं और दवाइयों की आवश्यकता रहती है। मैं व मेरे दोनों पुत्र मेरे पति को अपने साथ रखने को तैयार हैं। वह अस्वस्थ मानसिक अवस्था की वजह से बार–बार घर से बाहर निकल जाते है। मेरे पति मानसिक हालात की वजह से अपना व परिवार का भला–बुरा सोचने व समझने में असमर्थ है। मेने अपने पुत्रों व पौत्रों का प्रश्नगत कृषि भूमि पर मेहनत व मजदूरी कर अपना व परिवार का पालन पोषण किया। मेरे पास प्रश्नगत कृषि भूमि के अलावा भरण–पोषण हेतु कोई अन्य साधन नहीं है। फिर भी प्रश्नगत भूमि का कब्जा मेरे पति को सुपुर्द कर दिया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन मेरे पति प्रश्नगत भूमि का कब्जा तभी लेने को तैयार है जब प्रश्नगत कृषि भूमि में रिहायश हेतु बनी हमारी दोनों ढ़ाणी हमारे से खाली करवाकर सुपुर्द किया जावे। मेरे और मेरे बच्चों के रहने का ओर कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम घर से बेघर हो जायेगें व भूखा मरने की नोबत आ सकती है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर मुझे व मेरे बेटे, पौत्रों को घर से बेघर नहीं किया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं. 02 ने अपने कथनों में बताया कि अपीलार्थी हमारे पिताजी है और रेस्पोडेन्ट सं. 01 हमारे माताजी है। हमारे पिता जी अस्वस्थ मानसिक अवस्था की वजह से बार–बार घर से बाहर निकल जाते है। हम हमारे पिताजी को घर लाने के लिए प्रयास किये वह घर आने को तैयार नहीं होते हैं। हमारे पिताजी की मानसिक हालत का ज्ञान गांव के व्यक्तियों व आस पास के पड़ोसी एवं रिस्तेदारों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं को है। हमारे पिताजी मानसिक हालात के कारण वे अपने परिवार का भला–बुरा सोचने व समझने में असमर्थ है। इसी कारण हमारे पिताजी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा को दिनांक 31.01.1990 (चित्रप्रति इकरारनामा सलंग्न) को सतीश कुमार पुत्र मालचन्द जाति छिंपा साकिन हनुमानगढ़ टाउन को जरिये इकरारनामा बैय कर दी थी जिसका मुकदमा जिला न्यायाधीश, हनुमानगढ़ के समक्ष चला था जिसमें उनके द्वारा वादी सतीश कुमार से राजीनामा कर उसको पुरी राशि जमा करवाकर डिक्री का अन्तिम निष्पादन करवाया गया तथा अपीलार्थी द्वारा 1 बीघा आराजी 06.08.2005 को श्री चिमनलाल पुत्र खेमाराम जाति भाट निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन को बेचान कर दी थी। हमारे पिताजी की विक्षिप्त मानसिकता का फायदा उठाकर कोई भी व्यक्ति प्रश्नगत कृषि भूमि को अन्तरण विलेख से निष्पादित करवा सकता है जिससे हम दोनों भाईयों के परिवार व मां को आजिविका हेतु दर–दर भटकने की नोबत आ सकती है। हमारे पिताजी द्वारा अपनी स्वअर्जित भूमि बताकर कब्जा चाहा गया है लेकिन जब उक्त प्रश्नगत भूमि कृय की गई थी अपीलार्थी की उम्र काफी कम थी, इतनी कम उम्र में जमीन खरिदने के लिए इतने पैसे कहां से आये। हमारे परिवार व नजदीकी रिश्तेदारों से हमें ज्ञात हुआ कि उक्त जमीन हमारे दादा द्वारा अपनी कमाई के स्वयं के पैसों से हमारे पिताजी व चाचा के नाम खरीदी थी। यदि हमारे पिताजी द्वारा स्वयं खरीदी होती तो मेरे चाचा के साथ सांझा खाता में ने होकर अपने अकेले के नाम होती। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि दादाजी के पैसों से खरिदी हुई होने पर स्वअर्जित नहीं होकर संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर उनका भी हक है। जहां तक पिता जी द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा मांगने की बात है, स्वयं हमारे पिताजी द्वारा पिछले वर्ष सौ रूपये स्टाम्प पैपर पर लिखित में प्रश्नगत कृषि भूमि को गांव के ही किसी तीसरे व्यक्ति को ठेके पर काश्त हेतु दी है(ठैकानामा की प्रति संलग्न है) जिसकी ठेका राशि भी अपने पास रखी है एवं इस वर्ष भी उनके द्वारा ही किसी तीसरे व्यक्ति को ठेके पर देने की बात विचारधीन है जिससे स्पष्ट है

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

कि प्रश्नगत कृषि भूमि पर हमने कोई कब्जा नहीं कर रखा हैं। हम दोनों भाई केवल प्रश्नगत कृषि भूमि में बनी दोनों पुश्तेनी ढ़ाणीयों में ही अपने परिवार व मां के साथ शांति से निवास कर रहें है। हम हमारे पिताजी को साथ रखने व उनका भरण–पोषण करने को तैयार है लेकिन हमारे पिताजी हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है। हमारे पिताजी यदि हमारे साथ न रहकर प्रश्नगत कृषि भूमि में बनी ढ़ाणी में अलग रहना चाहते है तो हम एक ढ़ाणी खाली कर उनको देने को भी तैयार है। हमारे पिताजी हमारे से दोनों ढ़ाणी/घर खाली करवाकर केवल कृषि भूमि का कब्जा लेना चाहते है। उनके द्वारा न तो भरण–पोषण चाहा गया है और न ही ढ़ाणी में रहने की कभी इच्छा जताई है। हमारे द्वारा, नजदीकी रिश्तेदारों व पड़ोसियों द्वारा बार–बार आश्रम से घर ले जाने की कोशिश की गई लेकिन पिताजी घर जाने को कभी भी तैयार नहीं हुए। फिर भी प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा हमारे पिता को दिया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन हमारी उक्त भूमि में रिहायश हेतु बनी पुश्तेनी ढ़ाणी से हम और हमारे शादी लायक बेटी व बेटों और हमारी मां को बेदखल नहीं किया जावे। हमारे पास रहने का ठिकाना व आजीविका का एकमात्र साधन नहीं रहेगा। अतः अपील अस्वीकार की जाकर हमारे दोनों भाईयों के परिवार को घर व कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया।

अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2020 को पारित किया गया है जिसकी अपील की समय सीमा 60 दिन में प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अपील की अवधी दिनांक 28.03.2020 को पूर्ण होनी थी लेकिन दिनांक 22.03.2020 को कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लागु हो गया जिस कारण समस्त कार्यवाहियां स्थगित कर दी गई। अपीलाण्ट 80 वर्षिय वृद्ध व्यक्ति है। वृद्धाश्रम में रह रहा है। वृद्धाश्रम से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होने पर भी अपीलान्ट वृद्धाश्रम से अनुमति लेकर अपनी अपील प्रस्तुत की है। जो भी समय–सीमा व्यतीत हुई है वह अपीलान्ट के बस से बाहर थी। अपीलान्ट ने जानबुझकर समय व्यतीत नहीं किया, इसलिए अपीलान्ट को न्याय दिलाने के लिए अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद समझी जाकर न्यायहित में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अंदर मियाद समाहित किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2020 के विरूद्ध भरण–पोषण के अन्तर्गत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत भरण–पोषण अन्तर्गत धारा 5 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 बाबत जीवन और सम्पत्ति का संरक्षण अधिनियम 2007 में प्रश्नगत कृषि भूमि से रेस्पोडेन्टस को बेदखल कर अपने नाम की कृषि भूमि का कब्जा व भरण–पोषण भत्ता अपीलार्थी को दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अपीलार्थी को प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिनांक 11.10.2018 पारित किया। परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में बनी दो ढाणीयां आवासीय जिसमें अपीलार्थी की पत्नी रेस्पोडेन्ट सं. 01 व अपीलार्थी के पुत्र (रेस्पोडेन्ट सं 02 ता 03) सपरिवार निवास कर रहे है, से खाली करवाकर ही कब्जा लेना चाहा गया व उक्त ढाणीयां खाली नहीं करवाने पर कब्जा नहीं लिया गया। इसके उपरान्त इस न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी जिसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सं. 01 के मध्य प्रश्नगत कृषि भूमि व उसमें बनी दोनों ढाणीयों को बराबर बांटने का आदेश दिनांक 27.01.2020 पारित किया गया। उक्त आदेश से भी सन्तुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा नहीं लिया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा दौराने बहस यह कथन करना कि मेरे पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

मानसिक परेशानी की वजह से मुझे 15 वर्ष पहले छोड़कर चले गये तब से वृद्धाश्रम में ही रहते है। मैं अपने दोनों बेटों के पूरे परिवार के साथ प्रश्नगत कृषि भूमि में बनी ढ़ाणी में निवास कर रही हूं। मेरे बेटे मुझे रख रहे है वैसे ही मेरे पति को भी रखने को तैयार है परन्तु मेरे पति खुद नहीं रहना चाहते। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा को दिनांक 31.01.1990 को सतीश कुमार पुत्र मालचन्द साकिन हनुमानगढ़ टाउन व श्री चिमनलाल पुत्र खेमाराम जाति भाट निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन को बेचान करना। पत्रावली पर उपलब्ध सौ रूपये स्टाम्प पैपर पर प्रश्नगत कृषि भूमि को ठेके पर देने का लिखित ठेकानामा की प्रति के अवलोकन से स्वयं अपीलार्थी द्वारा पिछले वर्ष प्रश्नगत कृषि भूमि को गांव के ही किसी तीसरे व्यक्ति को ठेके पर काश्त हेतु दी है जिसकी ठेका राशि भी अपने पास रखी है एवं इस वर्ष भी अपीलाण्ट द्वारा ही किसी तीसरे व्यक्ति को ठेके पर देने की बात विचारधीन होना, से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि पर कब्जा नहीं कर रखा है। ठेका राशि भी अपीलार्थी द्वारा स्वयं प्राप्त करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी स्वयं का भरण–पोषण करने में सक्षम है। पत्रावली के अवलोकन व अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलार्थी व रेस्पोडेंटस (अपीलार्थी की पत्नी व दोनो बेटे) अलग–अलग निवास कर रहे है जिससे दोनों पक्षों का परिवारिक विवाद होना प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को स्वअर्जित बताकर कब्जा चाहा गया है लेकिन अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि स्वयं द्वारा क्रय करने या स्वअर्जित सम्पत्ति होने सम्बन्धी ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलार्थी द्वारा वांछित कृषि भूमि स्वअर्जित है या पैतृक। जहां तक अपीलार्थी के भरण–पोषण का प्रश्न है अपीलार्थी द्वारा इस अपील में भरण–पोषण की मांग नहीं की गई है, केवल रेस्पोडेन्टस से दोनों ढाणी आवासीय खाली करवाकर प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा लेने का अनुतोष चाहा गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 वरिष्ठ नागरिक है, जिसको भी भरण–पोषण की आवश्यकता है। रेस्पोडेन्टस सं. 02 ता 03 रेस्पोडेन्ट सं. 01 को साथ रखकर भरण–पोषण कर रहे है और अपीलार्थी को भी साथ रखकर भरण–पोषण करने या जमीन अपीलार्थी द्वारा खुद काश्त करने या ठेके पर देने पर सहमत है। अपीलार्थी की वृद्धावस्था को देखते हुए रहने के लिए आवास व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना दोनो पुत्रों का नैतिक दायित्व है। इसलिए दोनो पुत्रों में से कोई एक अपीलार्थी को आवास सुविधा हेतु अपने मकान में रखें तथा मूलभूत आवश्यक सुविधाए उपलब्ध करवाएं। अपीलार्थी चाहे तो रेस्पोडेन्टस के साथ रह सकता है या अलग से प्रश्नगत कृषि भूमि में ढाणी बनाकर रह सकता है जिसमें रेस्पोडेन्टस कोई दखलंदाजी नहीं करे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2020 से प्रश्नगत कृषि भूमि व ढाणीयों का आधा–आधा हिस्सा अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सं. 01 को सुपुर्द किये जाने के दिया गया आदेश जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यह अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ को पालनार्थ वापिस लौटाया जावे। आदेश की प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं भरण–पोषण अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं पक्षकारों को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़